Date: 13 जून 2023

गुवाहाटी उच्च न्यायालय

पाठ्यक्रम: जीएस 2 / सरकारी नीतियां और हस्तक्षेप

संदर्भ-

- हाल ही में, गुवाहाटी उच्च न्यायालय की कोहिमा पीठ ने 2020 के नागालैंड सरकार के कुत्ते के मांस पर प्रतिबंध संबंधी आदेश को रद्द कर दिया है। सरकार ने एक अधिसूचना जारी कर बाजारों और डाइन-इन रेस्तरां में कुत्ते के मांस के वाणिज्यिक आयात और व्यापार तथा बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।

प्रमुख बिन्दु-

- 2020 की एक सरकारी अधिसूचना में, नागालैंड में कुत्तों के बाजार, वाणिज्यिक आयात और व्यापार के साथ-साथ डाइन-इन रेस्तरां में कुत्ते के मांस की व्यापार बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया था।
- नागालैंड सरकार के आदेश में कहा गया था कि प्रतिबंध "मानव उपभोग के लिए सुरक्षित खाद्य पदार्थों की सुरक्षा को विनियमित करने" के लिए आवश्यक था।
- खाद्य सुरक्षा और मानक (Food Safety &Standards) विनियम 2011 के विनियमन 5 द्वारा एफएसएसएआई (FSSAI) उन मांस और मांस उत्पादों को सूचीबद्ध करता है जो उपभोग के लिए उचित होते हैं। कुत्ते का मांस सूची में नहीं है, तथा इस प्रकार, मानव उपभोग के लिए अयोग्य माना जाता है।
- याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश वकील ने प्रस्तुत किया कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण द्वारा 06 अगस्त, 2014 को जारी सर्कुलर में कहा गया कि खाद्य सुरक्षा और मानक विनिनियम (5) और खाद्य योजकों के विनियम, 2011 के उप-विनियम 2.5.1 (ए) में जानवरों, शवों और पशुओं को परिभाषित किया गया है, जिसमें कुत्ते या कुत्ते का मांस शामिल नहीं हैं।

मांस विनियमन पर उच्च न्यायालय की टिप्पणी-

- हाईकोर्ट ने कहा कि कुत्ते का मांस "आधुनिक समय में भी नागाओं के बीच एक स्वीकृत मानदंड और भोजन प्रतीत होता है।
- अदालत ने कहा कि नगालैंड में विभिन्न जनजातियों द्वारा कुत्ते के मांस की लंबे समय से चली आ रही खपत को 1921 में जेएच हटन द्वारा लिखित अंगामी नागा तथा सेमा नागा, पर' जैसे कई ग्रंथों में दर्ज किया गया है।
- न्यायमूर्ति मार्ली वानकुंगने तीन व्यक्तियों की याचिका की सुनवाई के बाद यह फैसला सुनाया।
- याचिकाकर्ताओं केमौलिक अधिकारों और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के लिए उपयुक्त परमादेश (रिट) जारी करने के लिए संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत यह याचिका दायर की गई थी।
- अदालत ने कहा, पशु क्रूरता रोकथाम अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए उपचारात्मक उपाय हो सकते हैं।

कुत्ते के मांस की खपत-

- कुत्ते के मांस को नागालैंड और पूर्वोत्तर के कुछ अन्य हिस्सों के कुछ समुदायों के बीच एक व्यंजन माना जाता है – दशकों से राज्य के कुछ हिस्सों में पारंपरिक रूप से खाया जाता है।
- नागालैंड में कुछ समुदाय कुत्ते के मांस को औषधीय गुण भी मानते हैं।

नागालैंड –

- 1 दिसंबर, 1963 को नागालैंड को औपचारिक रूप से एक अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी, कोहिमा को इसकी राजधानीघोषित किया गया था।
- अन्य जनजातियों मेंलोथा, संगतम, फोम, चांग, खिम हंगामा, यिमचुंगर, जेलियांग, चखेसांग (छोकरी) और रेंगमा शामिल हैं।
- यहपूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, दक्षिण में मणिपुर और पश्चिम और उत्तर पश्चिम में असम और पूर्व में म्यांमार (बर्मा) से घिरा है।
- कोन्याकसबसे बड़ी जनजाति हैं, इसके बाद एओस, तांगखुल, सेमास और अंगामी आते हैं।

स्रोत:इंडियन एक्स्प्रेस

Rajiv Pandey

वि-वैश्वीकरण

संदर्भ में-

- हाल के वर्षों में वैश्विक शासन की अपर्याप्तता और कमजोर बहुपक्षवाद के बारे में चिंता बढ़ गई है क्योंकि अमेरिका और अन्य प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं ने तेजी से अपने घरेलू एजेंडे को प्राथमिकता दी है।

वैश्वीकरण के बारे में-

- किसी वस्तु, सेवा, विचार पद्धति, पूँजी, बौद्धिक सम्पदा अथवा सिद्धान्त को विश्वव्यापी करना अर्थात् विश्व के प्रत्येक देश का अन्य देशों के साथ अप्रतिबन्धित आदान-प्रदान करना।
- वैश्वीकरण (Globalization) विभिन्न देशों के लोगों, कंपनियों और सरकारों के बीच बातचीत और एकीकरण की प्रक्रिया है। वैश्वीकरण में संपूर्ण विश्व को एक बाजार का रूप प्रदान किया जाता है।
- वैश्वीकरण से आशय विश्व अर्थव्यवस्था में आये खुलेपन, बढ़ती हुई आत्मनिर्भरता तथा आर्थिक एकीकरण के फैलाव से है। इसके अंतर्गत विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है।
- व्यवसाय देश की सीमाओं को पार करके विश्वव्यापी रूप धारण कर लेते हैं। वैश्वीकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए जाते है। कि विश्व के सभी देश व्यवसाय एवं उद्योग के क्षेत्र में एक दूसरे के साथ सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना।

वैश्वीकरण के लाभ-

आर्थिक लाभ:

- वैश्वीकरण के सबसे अधिक दिखाई देने वाले प्रभाव निश्चित रूप से आर्थिक दुनिया को प्रभावित कर रहे हैं।

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com

- आर्थिक आदान-प्रदान में इस तेजी से मजबूत वैश्विक आर्थिक विकास हुआ है।
- इसने एक तेजी से वैश्विक औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया जिसने आजकल हमारे पास उपलब्ध कई प्रौद्योगिकियों और वस्तुओं के तेजी से विकास की अनुमति दी।

सांस्कृतिक लाभ:

- आर्थिक और वित्तीय आदान-प्रदान के गुणन के बाद प्रवासन, या यात्रा जैसे मानव आदान-प्रदान में वृद्धि हुई है। इन मानवीय आदान-प्रदानों ने सांस्कृतिक आदान-प्रदान के विकास में योगदान दिया है।
- इसका मतलब यह है कि स्थानीय समुदायों के बीच साझा किए गए विभिन्न रीति-रिवाजों और आदतों को उन समुदायों के बीच साझा किया गया है जिनकी अलग-अलग प्रक्रियाएं और यहां तक कि अलग-अलग मान्यताएं हैं।

वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव-

लुप्त होती संस्कृतियां:

- अंतर-सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने के लिए इसके सभी लाभों के अलावा, वैश्वीकरण ने दुनिया भर में संस्कृतियों को समरूप बनाने का भी प्रयास किया।
- यही कारण है कि कुछ देशों से विशिष्ट सांस्कृतिक विशेषताएं लुप्त होने के कगार पर खड़ी हैं।
- यूनेस्को का दावा है कि भाषाएं, रीति-रिवाज, यहां तक कि विशेष व्यवसाय। इस वजह से, वैश्वीकरण के लाभों और स्थानीय संस्कृतियों की विशिष्टता के संरक्षण के बीच सावधानीपूर्वक संतुलन आवश्यक है।

बढ़ती असमानताएं:

- वैश्वीकरण के प्रभाव एक समान नहीं हैं; इनमें आर्थिक विषमताएं, असमान धन वितरण और व्यापार शामिल हैं जो विभिन्न पक्षों को विविध तरीकों से लाभान्वित करते हैं।
- ऑक्सफैम **की एक हालिया रिपोर्ट** कहती है कि दुनिया की संपत्ति का 82% 1% जनसंख्या के पास है।

पर्यावरण प्रदूषण:-

- कई आलोचकों ने यह भी बताया है कि वैश्वीकरण का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।
- इस प्रकार, **परिवहन का विशाल विकास** जो वैश्वीकरण का आधार रहा है, ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग या वायु प्रदूषण जैसी गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं के लिए भी जिम्मेदार है।
- **वैश्विक आर्थिक विकास और औद्योगिक उत्पादकता** दोनों वैश्वीकरण की प्रेरक शक्ति और प्रमुख परिणाम हैं।
- उनके बड़े पर्यावरणीय परिणाम भी हैं क्योंकि वे प्राकृतिक संसाधनों की कमी, वनों की कटाई और पारिस्थितिक तंत्र के विनाश और जैव विविधता के नुकसान में योगदान करते हैं।
- वस्तुओं का विश्वव्यापी वितरण भी एक बड़े कचरे की समस्या पैदा कर रहा है, खासकर प्लास्टिक प्रदूषण की चिंता पर।

वि-वैश्वीकरण-

- वि-वैश्वीकरण (De-Globalisation) शब्द का उपयोग आर्थिक और व्यापार जगत के आलोचकों द्वारा कई देशों की उन प्रवृत्तियों को उजागर करने के लिये किया जाता है जो फिर से उन आर्थिक और व्यापारिक नीतियों को अपनाना चाहते हैं जो उनके राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखें।
- ये नीतियाँ अक्सर टैरिफ अथवा मात्रात्मक बाधाओं का रूप ले लेती हैं जो देशों के बीच श्रम, उत्पाद और सेवाओं के मुक्त आवागमन में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- इन सभी संरक्षणवादी नीतियों का उद्देश्य आयात को महँगा बनाकर घरेलू विनिर्माण उद्योगों को रक्षा प्रदान करना और उन्हें बढ़ावा देना है।

आर्थिक अंतर्संबंध और वैश्विक सहयोग:-

- हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो आर्थिक रूप से परस्पर जुड़ी हुई है, तथा एक देश जो करता है वह अक्सर दूसरों को प्रभावित करता है।
- हम अभी भी एक उच्च वैश्वीकृत दुनिया में रहते हैं और ऐसे संरक्षणवादी कदम उन बुनियादी नियमों के विपरीत है जिनके आधार पर वैश्विक विकास का अनुमान लगाया जाता है तथा विश्व व्यापार संगठन (WTO) जैसे संगठन वैश्विक व्यापार को विनियमित करते हैं।
- जब बड़े, औद्योगीकृत और समृद्ध राष्ट्र वस्तुओं और सेवाओं के प्रवेश को कठिन बनाने के लिये आगे आते हैं तो इससे उनके कई व्यापारिक भागीदारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- वैश्विक आर्थिक विकास, मुद्रास्फीति और ब्याज दरों की सभी गणनाओं में फिर से गड़बड़ हो सकती है।

राष्ट्रीय नीति स्वायत्तता पर सीमाएं:-

- राष्ट्रीय नीति स्वायत्तता पर बहुत अधिक सीमाएं **वैश्विक अर्थव्यवस्था के खिलाफ भी पैदा कर सकती** हैं।
- वि-वैश्वीकरण से वैश्विक वित्तीय बाज़ारों की स्थिति में आ रहे सुधार की गति मंद पड़ सकती है। जिस सिद्धांत को अभी वस्तुओं पर लगाया गया है, उसे लोगों पर भी लगाया जा सकता है, इससे वैश्विक श्रम बाज़ार की गतिशीलता प्रभावित हो सकती है।

आगे का रास्ता-

- जब सरकारें अधिक समावेशी **आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय एजेंडे का** पीछा करती हैं, तो वे विश्व अर्थव्यवस्था को एक और लाभ प्रदान करते हैं।
- **अच्छी तरह से शासित अर्थव्यवस्थाएं** जहां समृद्धि व्यापक रूप से साझा की जाती है, विस्तारित अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, निवेश और आव्रजन का स्वागत करने की अधिक संभावना है।

Rajiv Pandey

Yojna IAS
योजना है तो सफलता है
yojnaias.com